फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

र्थी : श्रीमती कमलाबाई	बनाम	विपक्षी : श्री राजमल व अन्य
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 9 नियम 4, 8, 9 पठित धारा 151 जा.दी.		पत्रावली संख्या : 29/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक 21.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 उपस्थित। विपक्षी संख्या 3, 4 अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 3, 4 को आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित है। अत: विपक्षी संख्या 3, 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा मुल पत्रावली में वाद व काउन्टर वाद को आपसी सहमती अनुसार रिस्टोर किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थीया की ओर से उक्त अनवान का एक वाद बाबत घोषणा हेतु आप न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर में प्रस्तुत किया था, जिसके प्रकरण संख्या 11/2020 रे.वाद नियत होकर सुनवाई चल रही थी कालान्तर में उक्त वाद भीण्डर उपखण्ड अधिकारी का पद सर्जित होने से उक्त प्रकरण आप न्यायालय में स्थान्तरित हुआ और आप न्यायालय द्वारा अपने भीण्डर न्यायालय के नवीन मुकदमा न. 440/2021 रे. वाद कायम किया जाकर वाद के पक्षकारान को नोटिस जारी करने बाबत् नियत की गई थी और दिनांक 03.09.2024 को प्रकरण वादी एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति दर्ज कर प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। यह कि प्रकरण में वादीया की ओर से पैरवी करने हेतु वकील साहब नारायण लाल गाडरी जी को नियुक्त कर रखा था और वकील साहब ने आश्वासन दे रखा था की जब भी आपकी आवश्यकता होगी आपको फोन कर बुला लेगें प्रकरण भीण्डर न्यायालय में स्थान्तरित होने की जानकारी प्रार्थीया को नही थी न ही वकील साहब ने हमे सुचित किया न ही न्यायालय से कोई सुचना पत्र ही आया इस कारण प्रार्थीया समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी थी। प्रार्थीया निकाले के रोग से पीडीत होने से बीमार होने से भी समय पर न्यायालय में सम्पर्क नहीं हो सका इस कारण वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। अतः प्रार्थीया द्वारा मुल वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रकरण [illegible] 40/2021 रे. वाद अनवान श्रीमती कमलाबाई बनाम राजमल के अध्ययन [illegible] द्वारा मुल वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का [illegible] दिनांक 03.09.2024 को अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी मय पक्षकारान के अनुपस्थित होने से [illegible] का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा मुल पत्रावली में वाद व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:25 IST
Reason: SelfAttested

काउन्टर वाद को आपसी सहमती अनुसार रिस्टोर किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मुल वाद व काउन्टर वाद घोषणा की धारा से संबंधित है जिसमें वादी व प्रतिवादी का हित निहित है। इस प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी वाद व काउन्टर वाद को रिस्टोर किये जाने पर सहमत है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 4, 8, 9 सपठित 151 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 4, 8, 9 सपठित 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है तथा रेवेन्यु वाद 440/2021 रे.वाद अनवान श्रीमती कमलाबाई बनाम श्री राजमल की आदेशिका दिनांक 03.09.2024 को अपास्त किया जाता हैं तथा रेवेन्यु वाद व काउन्टर वाद प्रकरण संख्या 440/2021 अनवान श्रीमती कमलाबाई बनाम श्री राजमल को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल सुनार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:25 IST
Reason: SelfAttested